प्रकरण सं0 :– 24/2018 (61/2010)
दायर दिनांक :– 23.02.2010

अनवान

श्री गोपी लाल पिता नन्द लाल व्यास नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. श्रीमति अनोपी देवी पत्नि लादू कुम्हार नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर
2. मु. गुलाब पुत्री लादू कुम्हार नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर
3. मु. इन्द्रा पुत्री लादू कुम्हार नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री दीपक कुमार पंचोली, वकील वादी
2. श्री नारायण लाल शर्मा, वकील प्रतिवादीगण

:: आदेश :: दिनांक 14.08.2020

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तह0 जहाजपुर की आ0 न0 2068 रकबा 03.04 बीघा भूमि चालु जमाबन्दी मे प्रतिवादी सं. 1 से 3 के खातेदारी में दर्ज है। चरण सं. 1 में वर्णित में कृषि भूमि पूर्व के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सं. 1 के पति एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता लादू पिता छगना कुम्हार नि. पीपलुन्द के खाते दर्ज थी। खातेदार लादू पिता छगना कुम्हार को अपने घरेलू कार्य के लिये रूपयो की आवश्यकता होने से वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में से 3 बिस्वा कृषि भूमि जिसके पडोस पूर्व मे जहाजपुर माण्डलगढ रोड, पश्चिम मे लादू कुम्हार का बाडा उत्तर में लादू कुम्हार का मकान, दक्षिण में लादू कुम्हार का बाडा उक्त पडोस के मध्य की 3 बिस्वा कृषि भूमि को लादू कुम्हार ने दिनांक 12.06.1995 को 1200 रू. के विक्रय मूल्य में पंजीकृत विक्रय पत्र से वादी को विक्रय कर कब्जा वादी को सिपुर्द कर दिया था बाद क्रय सें ही वादी उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा हैं विक्रेता लादू पिता छगना कुम्हार नि. पीपलुन्द की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 है वादी द्वारा आ. नं. 2068 में से क्रय की गई 3 बिस्वा कृषि भूमि को वादी ने चारो ओर पत्थरो का कोट लगाकर एव काफी धन खर्च कर कृषि उपयोगी बनाया है। वादी ने 3 बिस्वा कृषि भूमि क्रय करने के पश्चात उक्त विक्रय पत्र की फोटु प्रति पटवार हल्का को दी किन्तु पटवार हल्का ने वाद पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित कृषि भुमि में से 3 बिस्वा कृषि भूमि का नामान्तरकरण मुझ वादी के पक्ष मे नही खोला है वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित पडोस के मध्य की तीन बिस्वा भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है इसलिये आ.सं. 2068

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 11:44:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

कृषि आराजियात में वादी को नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रदान करने की मांग की।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुये। जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण की और से श्री नारायण लाल शर्मा, एडवोकेट का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की वाद पत्र के पैरा सं. 1 स्वीकार है। वाद के पैरा सं. 1 में वर्णित तथ्य की प्रतिवादी सं. 1 के पति व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता लादू ने घरेलू कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने से कृषि भूमि वादी को 3 बिस्वा बेच दी अस्वीकार्य है की यह भूमि किसी को विक्रय नही की हैं वर्तमान में जवाबदाता के ही कब्जा चला आ रहा हैं व जमीन पर बाडा हैं किसी प्रकार की काश्त नही की जाती हैं बाडे में हमारे मवेशियो को बाधे जाते है। तथा लादू स्वंय अनपढ व्यक्ति था उसके नाम का यदि कोई विक्रय विलेख तैयार किया हो तो उत्तरादाताओ को अस्वीकार्य है लादू ने इस बारे मे अपने जीवन काल में यही बताया की मैने कभी भी किसी प्रकार कोई विक्रय नही किया है वादी ने फर्जी विक्रय दस्तावेज तेयार कराये हैं उक्त वाद लादू के जिवित रहते नही लाया गया क्यो कि सही तथ्य सामने आने का डर था लादू के मरने के बाद प्रतिवादीगण तथा कब्जा पूर्व में लादू का था उस के बाद स्वंय उत्तरादाताओ का है उत्तरदाताओ के ओरते होने का फायदा होकर उत्तरदाताओ की बेसकिमती भूमि को वादी हडपना चाहता है। वाद का पैरा सं. 3 व 4 अस्वीकार है। पैरा सं. एक मे वर्णित कृषि भूमि मे से 3 बिस्वा जिसे विक्रय करना बताया गया है वह पूर्णतया मिथ्या है मौके पर उत्तरादाताओं का वर्षो से लगातार व अबाध्य रूप से कब्जा चला आ रहा है वाद में वर्णित पडौसी गलत है।

वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 की प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रति, विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी की 3 बिस्वा कृषि भूमि को लादू कुम्हार ने दिनांक 12.06.1995 को 1200 रू. के विक्रय मूल्य में पंजीकृत विक्रय पत्र से वादी को विक्रय कर कब्जा वादी को सिपुर्द कर दिया था बाद क्रय सें ही वादी उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा इसलिये उक्त आराजियात में से प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने हेतु डिक्री फरमाई जावे। वकील प्रतिवादीगण ने बहस के दौरान बताया पैरा सं. एक मे वर्णित कृषि भूमि मे से 3 बिस्वा जिसे विक्रय करना बताया गया है वह पूर्णतया मिथ्या है जिससे वादी का वादपत्र खारिज कराना फरमावे। मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की उक्त वर्णित आराजियात वादी द्वारा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 1 के पति एव प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता द्वारा आ.न. 268 में से रकबा 0.03 बीघा क्रय की गई थी। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत रजिस्ट्री की प्रति से होती है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त पंजिकृत विक्रय पत्र की कोई अपील अब तक किसी भी सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नही की गई है। उक्त पंजिकृत दस्तावेज को निरस्त कराने का कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है। वादी

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 11:44:29 IST
Reason: SelfAttested

C:nirnay//rider

पंजिकृत दस्तावेज अनुसार राजस्व रेकार्ड में अपना हक हिस्सा दर्ज करवाना चाहता है। जिससे वादी राजस्व रेकार्ड में अपना हक हिस्सा दर्ज करवा खातेदारी पाने के अधिकारी है। जिसे वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है की ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तह0 जहाजपुर की आ0 न0 2068 रकबा 03.04 बीघा में से पंजिकृत दस्तोवज अनुसार 0.03 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण बेदखल न करे न अपने नोकर ऐजेन्ट रिश्तेदारों से करवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 11:44:29 IST
Reason: SelfAttested